Weighing of coal at the weighbridge in Coal India Ltd.

1793. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the percentage of the despatched coal actually weighed at the colliery weighbridge in Coal India Ltd.;

(b) what is company-wise details;

(c) what is the basis of payment for non-weighed coal;

(d) what are the steps taken by Government for joint sampling of the coal for ensuring the quality of the coal at the power plant.

(e) whether it is being done at pit head or power plants; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) According to the information furnished by Coal India Ltd. (CIL), the company-wise percentages of coal weighed at the colliery-end before despatch during 1993-94 were as under:

Company	Percentage weighment
Eastern Coalfields Ltd. (ECL) .	96.9%
Bharat Coking Coal Ltd. (BCCL)	89.3%
Central Coalfields Ltd. (CCL) .	63.2%
South Eastern Coalfields Ltd. (SECL)	74.8%
Mahanadi Coalfields Ltd., (MCL)	43.5%
Northern Coalfields Ltd. (NCL)	79.5%
Western Coalfields Ltd. (WCL) .	65.9%

(c) All coal supplied by road, MGR, ropeways, belt is covered by weighment facilities. Despatches by rail are also mostly covered by weighbridges. However, where coal is despatched without weighments by rail bills are raised by CIL on the basis of weight recorded in the Railways Receipt (RR) issued by the Railways on the basis of volumetric conversion of coal.

(d) to (f) Coal companies are responsible for supply of correct quality and quantity of coal at the pit heads. This is also the point where the property in coal is transferred to the consumers or their transport agents. The quality and quantity of coal supplies have to be verified by the consumer at the point where he or his agent takes possession and any discrepancy regarding weight and quality should be sorted out on that basis. The legal responsibility of supplier ceases as soon as the property is transferred. This is also the position under Sales of Goods Act, 1930.

It has also been decided that an independent third party inspection agency for quality assurance in coal should be established, preferably through coal Controller's Organisation, on a self financing basis. All such quality inspections should be done at the colliery end before despach and not at the consumers end after receipt.

मध्य प्रदेश के औद्योगिक एककों को घटिया कोयले की आपूर्ति

1794. **श्री अजीत जोगी**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक एककों को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियां मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों सहित अपने सभी उपभोक्ताओं को संविदा के अंतर्गत गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति

सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास कर रही है । कोयला प्राकृतिक रूप में स्लेट/पत्थर आदि के शैडों में परतों से जुड़ा रहता है । अधिक प्रयास किए जाने के बावजूद भी खनन तथा रख-रखाव की प्रक्रिया में कोयले से स्लेट/पत्थर आदि को पूर्णतया पृथक करना सदैव संभव नहीं है। किन्तु, बाहरी सामग्री से मुक्त कोयले का प्रेषण सुनिश्चित करने के ध्येय से कोयला कंपनियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित कदम उठाए हैं तथा उठा रही हैं :—

(1) लदान से पूर्व कोयले से पत्थर/अवशिष्ट सामग्री को चुनने के लिए व्यवस्था की गई है ।

(2) गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर ब्रेकस तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(3) स्लेट तथा पत्थर के टुकड़े चुनने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों में धीमी चाल की पिकिंग बैल्ट मुहैया की जा रही है ।

(4) उपभोक्ताओं को गुणवत्ता आदि की संतोषप्रदता के लिए स्वयं लदान स्थल पर ही अपने लदान का पर्यवेक्षण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है ।

(5) कोयले की गुणवत्ता को बनाये रखने तथा कामगारों के पर्यवेक्षकों तथा रेलवे स्थल पर कार्यरत अधिकारियों के बीच जागरुकता का विकास करने के लिए लदान के समय अच्छा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(6) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोयला कंपनियों ने भी कोयला उपभोक्ता परिषदों का गठन किया है । किसी तरह की शिकायतें, जिसमें कोयले के संबंध में शिकायतें भी शामिल हैं, इन परिषदों के सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके ।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के परिणाम

1795. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या **कोयला** मंत्री 25 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 19 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि का कोयला क्षेत्रों में चल रहे कोयले की तस्करी के बहुत बड़े रैकेट के साथ कोई संबंध है;

(ख) कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के संबंध में क्या-क्या बाध्यतायें हैं ; और

(ग) उपभोक्ता उद्योग पर तथा अन्तिम उत्पादन लागत और आदानों के बाजार मूल्यों पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ा है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत तथा ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया वृद्धि फार्मूला के आधार पर, कोयले की कीमतों में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो गया था, चूंकि फार्मूला में विभिन्न आयातों के विभिन्न सूचकांक में ऊपरी और वृद्धि हो गई थी तथा संराशिकृत किया जाना अपेक्षित था।

महत्वपूर्ण उद्योगों पर दिनांक 17-6-1994 से प्रभावी की गयी कीमतों की वृद्धि का अनुमान नीचे दिया गया है :—

1.	इस्पात	रू. 68.51 प्रति टन
2.	सीमेंट	रू. 5.00 प्रति टन
3.	विद्युत	रू. 1.40 पैसा/कि.वा. प्रति घंटा
4.	थोक बिक्री मूल्य सूचकांक	0.13 प्रतिशत